न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 55 / 2025

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2025 / 191

प्रार्थी

डूंगराराम पुत्र दरगाराम, जाति– गर्ग(गरूड़ा), निवासी–डूंगरा का गोलिया सांचौर, तहसील–सांचौर जिला–जालोर, राज.

अप्रार्थीगण

1 दरगाराम पुत्र गमनाराम, जाति– गर्ग(गरूड़ा), निवासी–डुंगरा का गोलिया सांचौर, तहसील–सांचौर

2 बादली पुत्री गमनाराम, जाति– गर्ग(गरूड़ा), निवासी–हाडेचा, तहसील–चितलवाना, जिला–जालोर

3 सवाराम पुत्र गमनाराम, जाति– गर्ग(गरूड़ा), निवासी–डूंगरा का गोलिया सांचौर, तहसील–सांचौर

4 भूमिधारी तहसीलदार सांचौर

5 उपपंजीयक अधिकारी सांचौर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 22.08.2025

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री इब्राहिम शाह जूनेजा उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :–

दिनांक :– 17.12.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की पुश्तैनी खातेदार आराजी सरहद मौजा डुंगरा का गोलिया पटवार हल्का सांचौर में नवीन खसरा संख्या 213 रकबा 2.10 हैक्टेयर, खसरा संख्या 4078 / 1576 रकबा 4.59 हैक्टेयर की आई हुई है। नवीन खसरा संख्या 213 पुराने खसरा संख्या 63 व नवीन खसरा संख्या 4078 / 1576 पुराने खसरा संख्या 1576 एवं पुराने खसरा संख्या 216 में से नवीन खसरा संख्या 1576 सृजित किए गये है। प्रार्थी गरीब किसान व्यक्ति है तथा [illegible] अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता है। अप्रार्थी संख्या 1 विधि [illegible] प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में दखलंदाजी कर रहा है, जिस [illegible] की प्रार्थी को विधिक अधिकार होने से दावा बाबत् जारी करने स्थाई निषेधाज्ञा व ख[illegible]री अधिकारों की घोषणा का वाद माननीय अदालत में मजबूत आधारों पर प्रस्तुत कर दिया है, जिसमें सफल होने की प्रार्थी को पूर्णरूप से संभावना है मगर मूल वाद के निर्णय में लंबा समय लगेगा। ऐसी सूरत में यदि अप्रार्थीगण को अविलम्ब जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गय तो अप्रार्थीगण मुझ प्रार्थी की पैतृक भूमि को किसी अजनबी व्यक्ति को बैचान कर मुझ प्रार्थी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2026.01.22 11:45:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

मेरे हक हिस्से की भूमि से डण्डे के बल बाहर खदेड़ देंगे तथा अंदर कब्जा कर देंगे, जिससे प्रार्थी को ऐसी अपूरणीय क्षति होगी, जिसका आंकलन रूपयों पैसों में किया जाना कतई मुमकिन नहीं होगा, जबकि वादग्रस्त आराजी मुझ प्रार्थी की पैतृक संपति है तथा उसमें मुझ प्रार्थी का जन्मसिद्ध अधिकार है एवं प्रार्थी का मौके पर शांतिपूर्वक उपयोग व उपभोग व कब्जा काश्त है। ऐसी सूरत में प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन हैकि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला मूल वाद बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा सादिर फरमायी जावें कि वांके सरहद मौजा डूंगरा का गोलिया पटवार हल्का सांचौर में नवीन खसरा संख्या 213 रकबा 2.10 हैक्टेयर, खसरा संख्या 4078/1576 रकबा 4.59 हैक्टेयर भूमि में स्थित प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि में प्रार्थी के शांतिपूर्ण उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में न तो अप्रार्थीगण स्वयं किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी या नुक्शअमन ही करें तथा न ही किसी अन्य से करावें तथा न ही वादग्रस्त आराजी आगे किसी को बैचान, रहन, भोगलावा, गिरवी, तर्क, बख्शीश वगैरह ही करें तथा मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

मैंने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि डूंगरा का गोलिया, पटवार हल्का सांचौर, तहसील–सांचौर में नवीन खसरा संख्या 213 रकबा 2.10 हैक्टेयर, खसरा संख्या 4078/1576 रकबा 4.59 हैक्टेयर की अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2026.01.22 11:45:12 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

निर्णय आज दिनांक **17.12.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर